

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाइ द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :-268/2019

निर्णय दिनांक:-18.10.2019

उनवान

लालचन्द बनाम तहसीलदार


प्रार्थना पत्र तहत दफा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
बाबत किये जाने पत्थरगढी

निर्णय

पत्रावली बाबत पत्थरगढी आराजी ख0नं0 75/10, 75/11, 75/9, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/12, 75/13, 75/14, 3776/75, 3777/75, 3778/75, 3779/75, 3780/75, 3781/75, 78/3706, 78/3707 वाके ग्राम डांगरथल तह0 निवाइ पेश हुयी। प्रतिपक्षी की तामिल हो चुकी है। प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाइ को 7500/- रुपये मौका कमिश्नर फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते ख0नं0 75/10, 75/11, 75/9, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/12, 75/13, 75/14, 3776/75, 3777/75, 3778/75, 3779/75, 3780/75, 3781/75, 78/3706, 78/3707 वाके ग्राम डांगरथल तह0 निवाइ का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने की सुनिश्चितता करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




जे.पी. बैरवा
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाइ